

## मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र० ६-५४/सात/सा-२[बी]/८४

भोपाल, दिनांक ४-२-१९८५

प्रति,

समस्त कलेक्टर,  
मध्य प्रदेश।

**विषय- प्रदेश में बक्क सम्पत्ति पर अबंध-अतिक्रमण के सम्बंध में।**

सेक्रेट्री, म० प्र० बक्क बोर्ड भोपाल ने शिकायत की है कि जिसकी सूची सलग्न है इसमें बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित बक्क भूमियों पर अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। अबंध ढंग से अतिक्रमण हटाने के संबन्ध में विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। कृपया आप अपने जिले में यदि बक्क बोर्ड की भूमियों पर अतिक्रमण किया गया है तो उसे तत्काल हटाने के संबन्ध में कारगर ढंग से कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

हस्ताक्षर  
(वी० एल० कोसग)  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
राजस्व विभाग

पू० क्र० ६-५४/सात/सा-२/[बी]/८४

भोपाल, दिनांक ४-२-८५

प्रतिलिपि :-

- [ १ ] समस्त कमिस्तर, मध्य प्रदेश
- [ २ ] बन्दोबस्त आयुक्त मध्य प्रदेश खालियर
- [ ३ ] सेक्रेट्री, म० प्र० बक्क बोर्ड, इज्जतपुरा, भोपाल को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिप

हस्ताक्षर  
अवर सचिव